बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में **बुधवार, तिथि 24 जनवरी, 1990** को पूर्वाह्न 10:15 बजे अध्यक्ष, **श्री मो० हिदायतुल्ला खाँ** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना

दिनांक : 24 जनवरी, 1990

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा।

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

151. श्री गोरख राम : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

प्रभारी मंत्री :

(1) क्या यह बात सही हे कि आर० ब्लौक पटना स्थित औथोंडेक्स चेम्बर के नं० 13 एवं 14 के कीचन की मरम्मति एवं चुनाई धुलाई का कार्य वर्ष 1987-88 से आज तक नहीं किया गया है ?

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। 1988-89 में प्रश्नगत कीचेन की मरम्मति एवं चूना पूताई कार्य किय गया है।

(2) क्या यह बात सही है कि कार्य नहीं होने के बावजूद संवेदको द्वारा गलत विपत्र बनाकर भुगतान कर लिया गया है ?

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो खण्ड-1 में वर्णित कार्यो को कब तक कराना चाहती है, तथा गलत विपत्र बनाकर भुगतान दिलाने वाले पदाधि कारियों के विरूद्ध कौन सी

(3) प्रश्न (1) एवं (2) के उत्तर के आलोक से प्रश्न नहीं उठता।

कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

बकाये वेतन का भुगतान

153. श्री गणेश प्रसाद यादव : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

श्री एच॰ एच॰ रहमान :

(1) क्या यह बात सही है कि गुण नियंत्रण अवर प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रयोगशाला मे खलासी के रिक्त पद पर दैनिक वेतन भोगी क रूप में कार्यरत श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, को अप्रील 88 से आज तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है?

(1) श्री यादव को किसी तरह का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये अप्रील 88 से अब तक कार्यरत नहीं रहे।

(2) क्या यह बात सही है कि श्री यादव के वेतन भुगतान करने के संबंध में अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना ने अपने पत्रांक-4609, दिनांक-11.5.89 पत्रांक-6483, दिनांक-19.7.89 एवं

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है लेकिन जब श्री यादव कार्यरत नहीं रहे है तो इन्हें भुगतान करने का प्रश्न नही उठता है।